जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 60वीं बैठक दिनांक 17-2-2004 को सायं 5.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में उनके द्वारा तैयार किया गया कार्यवाही विवरण इकजाई किया गया।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री डी.आर.मीणा, कार्यवाहक सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्री मुकेश शर्मा, उपायुक्त, जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री तेजसिंह राठौड, सहायक नगर नियोजक, जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हरफूल पंकज, तहसीलदार, जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री गिरीश शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-9, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा सं0 1 :– शंकर भवन गृ.नि.स.समिति योजना, कीर्ति नगर, भू.स. 106 ए को अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये जाने के संबंध में।

एजेण्ड़ा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार–विमर्श के पश्चात् शंकर भवन गृ.नि.स. समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में व सूची में 106 ए दर्शाया गया है। व मौके पर भी भूखण्ड उपलब्ध है। अतः योजना कीर्ति नगर में भू.सं. 106 ए का अनुमोदन किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

एजेण्डा सं0 2 :– अपोलो गृ.नि.स.समिति योजना, दयाल नगर, भूखण्ड संख्या 35 ए, सृजित करने बाबत।

एजेण्ड़ा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मौके पर भूखण्ड उपलब्ध है व मकान बना हुआ है। अतः दयाल नगर योजना में भू.सं. 35 ए सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 3 :– पटेल गृ.नि.स.समिति योजना, श्रीनगर कालोनी, ग्राम मनोहरपुरा के अनुमोदन के संबंध में।

समिति द्वारा विचार–विर्मश किया गया कि योजना एयर पोर्ट के पास है व भू–उपयोग Airport & Allied Activities के लिए सुरक्षित (Reserve) है। योजना में केवल 3 भूखण्ड निर्मित है तथा शेष सभी भूखण्ड रिक्त है। निदेशक (आयोजना) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि Airforce के लिए जो भूमि आरक्षित है, उसमें कुछ निर्माण हो चुके है। अतः यह योजना उस क्षेत्र से लगती है और इस योजना में अधिकांश भूखण्ड़ रिक्त है। तथा इस योजना की

भूमि एयर फोर्स हेतु उपयोग कि जा सकती है। अतः उपरोक्त कारण वश श्रीनगर कॉलोनी योजना को अस्वीकृत किए जानें का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य प्रवर्तक नियन्त्रण की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि भविष्य में श्रीनगर कॉलोनी की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो। अति. आयुक्त (पूर्व) एवं उपायुक्त जोन– 9 प्रश्नगत कॉलोनी की भूमि की अवाप्ति बाबत सम्भावनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 45
दिनांक :- 25/2/04
प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त भूमि (पूर्व/पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी./प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन ...., जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर